इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए
(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या 14 अंक संख्या 4 नवम्बर, 2021 पृष्ठों की संख्या 18

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ ----------5
विनियामकों के कथन ----------5
आर्थिक संवेष्टन ----------8
नयी नियुक्तियाँ ----------9
विदेशी मुद्रा ----------9
शब्दावली ----------10
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------11
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------11
संस्थान समाचार ----------11
नयी पहलकदमी ----------14
बाजार की खबरें ----------14

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकपाल प्रणाली लागू किए जाने के परिणामस्वरूप गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की परिवाद निवारण प्रणाली में सुधार आएगा

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और बैंकेतर भुगतान प्रणाली के सहभागियों के लिए आंतरिक लोकपाल योजना की ही भांति उसी प्रकार की वित्त कंपनियों के लिए आंतरिक लोकपाल योजना (IOS) लागू किए जाने के परिणामस्वरूप उच्चतर ग्राहक अंतरापृष्ठ रखने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) में परिवाद निवारण प्रणालियाँ लागू किये जाने के कार्य को सहारा प्राप्त होगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अब अपनी मौजूदा निवारण प्रणालियों के अतिरिक्त सेवा में कमियों से संबन्धित शिकायतों की जांच करने के लिए लोकपाल नियुक्त करेंगी। कई एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ग्राहकों के एक व्यापक वर्णक्रम को अपने वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की शीघ्र सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल विधियाँ अपनाए जाने के फलस्वरूप इस मुहिम को वर्धित महत्व प्राप्त हो जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे सैंडबाक्स में वित्तीय धोखाधड़ियों की रोकथाम पर संकेन्द्रण

विनियामक सैंडबाक्स ढांचे के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे जत्थे (cohort) के तहत वित्तीय धोखाधड़ियों की रोकथाम और उनके न्यूनीकरण पर ध्यान केन्द्रित रखा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि ध्यान का केंद्र धोखाधड़ी नियंत्रण ढांचे को सुदृढ़ करते हुये धोखाधड़ियों की घटना होने और उनका पता लगाने के बीच होने वाले विलंब पर होगा, तथा धोखाधड़ियों पर कार्रवाई होने में लगने वाले समय को कम करने पर होगा। इसके

अलावा, द्रुत गति से विकसित हो रहे फिंटेक परिदृश्य से सामंजस्य बिठाने और निरंतर नवोन्मेष एवं संलग्नता सुनिश्चित करने के एक प्रयास में भारतीय रिजर्व बैंक इसके पूर्व बंद किए गए सहगणों (cohorts) की विषय-वस्तुओं के लिए सदा-सुलभ अनुप्रयोगों की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक आफ़लाइन विधि में खुदरा डिजिटल भुगतानों के लिए देशव्यापी ढांचे की शुरूआत करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही अल्प इन्टरनेट संयोजकता वाले क्षेत्रों में डिजिटल भुगतानों के प्रसार-क्षेत्र को बढ़ाने तथा उसके अंगीकरण को विस्तारित करने के उद्देश्य से आफ़लाइन विधि में खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए एक नये ढांचे की शुरूआत करने वाला है। इसके अतिरिक्त, शीर्ष बैंक ने तुरंत भुगतान सेवा (IMPS) के लिए दैनिक लेनदेन सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करते हुये देश के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को एक और बढ़ावा प्रदान किया है।

5 करोड़ रुपए से कम के एक्सपोजर हेतु चालू खाता खोलने के नियमों को आसान बनाया गया

भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 करोड़ रुपए से कम के बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोजर वाले चालू खाते खोलने के कुछेक नियमों को शिथिल करते हुये छोटे आकार वाली फ़र्मों को राहत प्रदान की है। बैंकों से उधारकर्ताओं से इस आशय का एक वचनपत्र लेने हेतु कहा गया है कि वे प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के 5 करोड़ रूपये तक या उससे अधिक हो जाने पर ऋणदाताओं को सूचित करेंगे। जहां तक 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोजर वाले उधारकर्ताओं का संबंध है, वे जिन बैंकों से उन्होंने नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त कर रखी है उनमें से किसी भी बैंक के पास चालू खाता रख सकते हैं। ऐसे बैंको के लिए यह आवश्यक होगा कि वे बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोजर का 10% उस उधारकर्ता के प्रति रखें। अन्य ऋणदाता बैंक केवल वसूली खाते खोल सकते हैं, वह भी इस शर्त पर कि ऐसे खातों में जमा की गई निधियाँ उनके प्राप्त होने के दो कार्य-दिवसों के भीतर नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट खाते में विप्रेषित कर दी जाएँ।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चार-स्तरीय मान-आधारित विनियामक दिशानिर्देश प्राप्त होंगे

प्रणाली का कठोर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के एक अभियान में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को 1 अक्तूबर, 2021 से एक चार-स्तरीय मान-आधारित विनियामक दृष्टिकोण वाली पट्टी में समाविष्ट किया जाएगा। आकार, गतिविधि तथा अनुभूत जोखिम जैसे कारकों के अनुसार आधार-परत (base layer) के रूप में निम्नतम से आरंभ होने वाली परतें सृजित की जाएंगी। सबसे ऊपर वाली परत को रिक्त रखे जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल, 2022 से प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) की खरीद के वित्तीयन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रति उधारकर्ता 1 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा लागू की जाएगी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र को अधिक अनुदार सीमाएं निर्धारित करने की स्वतन्त्रता होगी।

चार स्तरों वाले ढांचे की आधार परत में 1,000 करोड़ रुपए तक की आस्तियों वाली जमा न स्वीकार करने वाली (non-deposit taking) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का समावेश होगा। बीच वाली परत में जमा स्वीकार करने वाली ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिनका आस्ति आकार चाहे जितना भी क्यों न हो, 1,000 करोड़ रुपए तक अथवा उससे अधिक की आस्तियों वाली जमा न स्वीकार करने वाली फ़र्मों, आवास वित्त फ़र्मों, एकल आधार वाले प्राथमिक व्यापारियों, मूलभूत सुविधा ऋण निधि निवेश कंपनियों (infrastructure debt fund investment companies) तथा मूलभूत सुविधा वित्त कंपनियों (infrastructure finance companies) को शामिल किया जाएगा। ऊपर वाली परत में उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का समावेश होगा जिनके लिए मापदण्डों के एक सेट और गणना कार्यप्रणाली पर आधारित वर्धित विनियामक अपेक्षाओं की आवश्यकता होगी। अन्य कारकों पर ध्यान दिये बिना आस्ति आकार के अनुसार शीर्ष 10 पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ हमेशा ऊपरी परत में रहेंगी। सरकार द्वारा स्वाधिकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को जब तक अगली सूचना न प्राप्त हो, आधार अथवा बीच वाली परत में रखा जाएगा।

सूक्ष्म वित्त फ़र्मों के रूप में कार्यरत वित्त कम्पनियों और आढ़त/फ़ैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न कम्पनियों के लिए विनियामक न्यूनतम निवल-स्वाधिकृत निधि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। हालांकि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -पी2पी (NBFC-P2P), गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी-एए (NBFC-AA) और सार्वजनिक निधियां न रखने वाली तथा ग्राहक अंतरापृष्ठ (interface) न रखने वाली कम्पनियों के लिए निवल स्वाधिकृत निधि (net owned fund) की अपेक्षा पूर्ववत 2 करोड़ रुपए बनी रहेगी।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

मृत जमाकर्ता के परिवार के लिए स्वर्ण योजना से समय-पूर्व आहरण की अनुमति : भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत मूल जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अवरुद्धता अवधि (lock-in period) के पहले जमाराशियों के समय-पूर्व आहरण की अनुमति दे दी है। तीन वर्षों की अवरुद्धता अवधि वाली मध्यम अवधि स्वर्ण जमा (MTGD) योजना के मामले में जमाराशियों के छ: माह के भीतर आहरित कर लिए जाने पर किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। 5 वर्षों की अवरुद्धता अवधि वाली तथा लागू होने वाली ब्याज दर के 2.5% होने पर दीर्घावधिक स्वर्ण जमा (LTGD) योजना के मामले में राशि जमा किए जाने के एक वर्ष के भीतर आहरण के लिए किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। मध्यम अवधि स्वर्ण जमा और दीर्घ अवधि स्वर्ण जमा जमाराशियां क्रमश: 5 से 7 वर्षों और 12 से 15 वर्षों तक जारी रहती हैं। अतएव, अवरुद्धता अवधि के बाद जमाराशियों के आहारित कर लिए जाने के बावजूद वे समय-पूर्व आहरण हो जाएंगी।

विनियामकों के कथन

लेखा-परीक्षाओं की गुणवत्ता एवं गहनता में सुधार लाया जाना आवश्यक : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने लेखा-परीक्षकों से वित्तीय आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण आवश्यकताओं के निर्धारण में गलत मान्यताओं, निधियों के अपयोजन और/अथवा संबन्धित पक्षों को लाभों के अंतरण सहित अवांछनीय प्रथाओं और ढांचों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने हेतु कहा है। उन्होंने उनसे सूचना प्रौद्योगिकी के विविध समाधानों के नीचे छिपा लिए जाने वाले वास्तविक लेनदेनों पर भी ध्यान देने के लिए कहा है। लेखा-परीक्षा और लेखांकन की राष्ट्रीय अकदमी (NAAA), शिमला में बोलते हुये गवर्नर ने यह कहा है कि "लेखा-परीक्षाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है लाभों को अतिरंजित करने अथवा खर्चों /देयताओं को अल्पवर्णित करने हेतु प्रबंधनों द्वारा अपनाई जाने वाली तथाकथित चातुर्यपूर्ण

लेखांकन प्रथाओं की जांच करना।" लेखा-परीक्षकों को कंपनियों/संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त माडेलों की जांच करनी चाहिए, प्रबंधन को चुनौती देनी चाहिए तथा माडेल उत्पादनों/कार्यों के परिमाण को वैधीकृत करना चाहिए।" गवर्नर ने यह मत व्यक्त किया कि "एक सुदृढ़ एवं आघात-सह वित्तीय क्षेत्र का निर्माण केवल तभी किया जा सकता है जब वित्तीय क्षेत्र की कंपनियाँ/संस्थाएं, लेखा-परीक्षा समुदाय, वित्तीय क्षेत्र के विनियामक और पर्यवेक्षक अच्छे अभिशासन एवं नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय उपाय करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करें। नयी प्रौद्योगिकियों के निरंतर कोटि-उन्नयन एवं एकीकरण के माध्यम से कंप्यूटर की सहायता से लेखा-परीक्षा साधनों/उपकरणों (tools) जैसे प्रौद्योगिकी के साधनों/उपकरणों के अंगीकरण से लेखा-परीक्षाओं में बहुत सारी कार्य-कुशलताएं आएंगी। इसके समानान्तर इस बात को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होगा कि लेखा-परीक्षा के लिए इस प्रकार के साधनों/उपकरणों का अंगीकरण व्यावसायिक निर्णयन का स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने इस बात का उल्लेख करते हुये यह कहा कि "लेखा-परीक्षा में प्रौद्योगिकी साधनों/उपकरणों का एकीकरण समग्र दृष्टिकोण के साथ किया जाना चाहिए। कल के लेखा-परीक्षक की प्रोफाइल सार्वजनिक हित एवं गुणवत्तापूर्ण लेखा-परीक्षा पर सुस्पष्ट संकेन्द्रण के साथ एक महत्वपूर्ण तथापि रचनात्मक चुनौती देने वाले व्यक्ति वाली होगी। इसके लिए और अधिक व्यावसायिक, सुयोग्य, निष्पक्ष, मूल्य-प्रेरित, नैतिक होने तथा जागरूकता एवं दूरदर्शिता प्रदर्शित किए जाने की आवश्यकता है।"

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर की चेतावनी : पूर्णत: परिवर्तनीय पूंजीगत लेखे के लिए तैयार रहें

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री टी॰ रबी शंकर ने कहा है कि विदेशी निवेशकों की भारत के ऋण बाजार तक पूर्णत: पहुँच के परिणामस्वरूप हमारे बैंकों को पूर्णत: परिवर्तनीय पूंजीगत लेखे से संबन्धित चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक रूप से तैयार रहना चाहिए।

भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI) के 5वें वार्षिक दिवस के अवसर पर बोलते हुये अपने मुख्य भाषण में उन्होंने कहा कि पूंजी परिवर्तनीयता में परिवर्तन की दर केवल बढ़ेगी। उसके साथ ही यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी भी आ जाती है कि इसप्रकार के प्रवाहों का प्रबंधन पूंजी प्रवाह के उपायों, स्थूल विवेकपूर्ण उपायों तथा बाजार के अंतराक्षेपण (intervention) के सही संयोजन से प्रभावी रीति से किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में उस उदारीकृत विप्रेषण योजना का पुनरीक्षण किया जाना होगा जिसके तहत कोई भारतीय प्रत्येक वित्त वर्ष में विदेशों को 2,50,000 रुपए भेज सकता है। इसके साथ ही इस बात की भी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता हो सकती है कि उक्त सीमा एकसमान बनी रह सकती है या फिर व्यक्तियों के मामले में वह किसी आर्थिक चर के साथ सम्बद्ध की जा सकती है।

बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की विफलता उनके ऋणदाताओं के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव के अनुसार संवेदन विशिष्ट/सनकी (idiosyncratic) कारकों के कारण कुछेक कंपनियों/संस्थाओं की विफलता की वजह से हाल के दिनों में गैर- बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की प्रतिष्ठा में खरोंच आ गई है। इसप्रकार उक्त क्षेत्र के समक्ष अपने-आप में विश्वास बनाए रखने की चुनौती उपस्थित हो गई है कि वह यह सुनिश्चित करते हुये कि कुछेक कंपनियों/गतिविधियों से ऐसी सुभेद्यतायें नहीं पैदा होतीं, जिनका पता न लगाया जा सके, जो आघात सृजित करें और वित्तीय प्रणाली के साथ अपनी अंतर्सम्बद्धताओं के माध्यम से प्रणालीगत जोखिम पैदा कर सकें। बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों (HFCs) को पर्याप्त अंश का निधीयन किए जाने के फलस्वरूप गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ वित्तीय प्रणाली से निधियों की सबसे बड़ी निवल उधारकर्ता होती हैं। 31 मार्च, 2021 के दिन गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र (आवास वित्त कंपनियों सहित) के पास 54 लाख करोड़ रुपए के मूल्य से अधिक की आस्तियां मौजूद थीं। यह उसे बैंकिंग क्षेत्र के आस्ति आकार का 25% रखने वाली स्थिति में पहुंचा देती है। पिछले पाँच वर्षों में गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की आस्तियां 17.91% की औसत संचयी वृद्धि दर से बढ़ी हैं।

सूक्ष्म वित्त ऋणदाताओं को अपने लाभों को सामाजिक उद्देश्यों के साथ संतुलित रखना चाहिए

भारतीय रिजव बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र मेन ऋणदाताओं को मुख्य धारा वाली वित्त रणनीतियों की नकल न करने की सलाह दी है, क्योंकि उनके लिए यह आवश्यक हा कि वे सामाजिक उद्देश्यों को उनके उधार परिचालनों के साथ संतुलित रखना आवश्यक है। सा-धन राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने उदघाटन भाषण में बोलते हुये श्री राव ने कहा कि "सामाजिक एवं कल्याणकारी ध्येयों की कीमत पर लाभप्रदता को प्राथमिकता दिया जाना

कोई इष्टतम परिणाम नहीं हो सकता।" सूक्ष्म वित्त ऋणदाताओं के विरुद्ध आवर्ती आलोचनाओं में उधारकर्ताओं को ऋण-जाल जैसी स्थितियों में पहुँचाने, कुसीदात्मक ब्याज दर प्रभारित किए जाने (प्राय: उनकी निधीयन एवं परिचालनात्मक लागतों से असंगत) और ऐसी कठोर वसूली पद्धतियाँ अपनाए जाने का समावेश है जिनसे उधारकर्ताओं को विपत्ति का सामना करना पड़ता है। श्री राव ने ऋणदाताओं को इन आलोचनाओं का उन्मूलन करने हेतु अंतर-निरीक्षण करने और इन मुद्दों का समाधान करने की सलाह दी है।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति वक्तव्य के आधार पर तैयार की गई मासिक आर्थिक रिपोर्ट सितंबर, 2021 के अनुसार कुछेक प्रमुख आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन नीचे दर्शाये गए हैं :

- वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि का अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा गया।
- सकल घरेलू उत्पाद अनुपात की तुलना में विदेशी ऋण मार्च 2021 के अंत में 21.1% से घटकर जून, 2021 के अंत में 20.2% रह गया।
- पूंजीगत माल एवं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में वृद्धि की अगुवाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में जुलाई, 2021 में 11.5% की व्यापक आधार वाली वर्षानुवर्ष वृद्धि परिलक्षित हुई।
- अगस्त, 2021 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में 5.3% की चार माह के कमतर स्तर वाली गिरावट आई।
- ईंधन और विनिर्माण खंड में अपरिवर्ती कीमतों के साथ मिलकर प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित होकर अगस्त, 2021 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति (WPI) जुलाई, 2021 के 11.2% के स्तर से बढ़कर 11.4% हो गई।
- सितंबर, 2021 के अंत में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल 6.22% के रूप में अपरिवर्तित रहे।
- सितंबर, 21 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के अंतर्वाह 3 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर सुदृढ़ रहे।

- सितंबर, 21 में बैंक ऋण 6.7^ रहे।

आपूर्ति पक्ष के सुधारों पर ध्यान दिये जाने की जरूरत

अक्तूबर बुलेटिन में अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबन्धित अपनी रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात का उल्लेख किया है कि प्रसामान्यीकरण पर एकाग्र चित्त होकर ध्यान दिये जाने की बजाय समय की आवश्यकता यह है कि आपूर्ति पक्ष के सुधारों तथा विविध अड़चनों और विघटनों को दूर करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। इसके अलावा, अविरत एवं समावेशी पुनरुत्थान के लिए नीतिगत समर्थन की अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए आवश्यकता हो सकती है। शीर्ष बैंक ने यह दावा किया है कि वह इस तथ्य से सहारा लेकर कि अपेक्षा से अधिक कमतर खाद्यान्न की कीमतों ने सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति को लक्ष्य के निकट संरेखित कर दिया है, आगे चलकर वृद्धि को समर्थन देना जारी रखेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल पात्रा ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक नीतिगत प्रसामान्यीकरण हेतु कदम-वार दृष्टिकोण अपना रहा है। यह कार्य उक्त रिपोर्ट में शीर्ष बैंक की इस पुनरुक्ति के अनुरूप ही है कि समय-पूर्व कठोरता से मुद्रास्फीतिजनित मंदी (stagflation) आ सकती है।

नयी नियुक्तियाँ

अधिकारी का नाम	**पदनाम**
श्री शक्तिकान्त दास	भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्त

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	29 अक्तूबर, 2021 के दिन करोड रुपए	29 अक्तूबर, 2021 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	4807657	642019
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	4331763	578462
(ख) सोना	292141	39012

(ग) विशेष आहरण अधिकार	144553	19304
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	39201	5242

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

नवम्बर, 2021 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.32400	0.69200	0.96700	1.14200	1.25800
जीबीपी	0.84820	1.2073	1.2918	1.2855	1.2623
यूरो	-0.44000	-0.240	-0.104	-0.024	**0.036**
जापानी येन	0.00880	0.050	0.054	0.063	0.073
कनाडाई डालर	0.50000	1.54000	1.775	1.882	1.936
आस्ट्रेलियाई डालर	0.47750	1.100	1.428	1.683	1.805
स्विस फ्रैंक	-0.58500	-0.390	-0.275	-0.175	-0.085
डैनिश क्रोन	-0.13010	0.0720	0.1755	0.2515	0.3100
न्यूजीलैंड डालर	1.61500	2.368	2.605	2.695	2.717
स्वीडिश क्रोन	0.12800	0.385	0.558	0.662	0.770
सिंगापुर डालर	0.47000	0.885	1.215	**1.435**	1.590
हांगकांग डालर	0.39000	0.780	1.065	1.270	1.400
म्यामार	2.23000	2.620	2.870	2.970	3.100

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

पूर्णत: अभिगम्य मार्ग (FAR)

केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों की कुछेक निर्धारित श्रेणियाँ पूर्णत: अभिगम्य कहे जाने वाले एक अलग मार्ग के अधीन किसी प्रतिबंध के बिना अनिवासी निवेशकों के लिए खुली रखी जाती हैं। निवेश के लिए पात्र प्रतिभूतियों की यह सूची भारतीय रिजर्व बैंक

द्वारा सूचीबद्ध की जाती है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2020-21 से 5/10/30 वर्ष के परिपक्वता काल वाली सरकारी प्रतिभूति का कोई भी नया प्रवर्तन पात्र प्रतिभूतियों वाला होगा। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर कोई भी नया परिपक्वता काल शामिल कर सकता है अथवा नयी प्रतिभूतियों के परिपक्वता काल को बदल सकता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio)

ऋण-जमा अनुपात से यह पता चलता है कि बैंकों द्वारा जमाराशियों के रूप में संग्रहीत कितनी राशि को अग्रिमों के रूप में अभिनियोजित किया गया है। इसकी गणना कुल अग्रिम/कुल जमाराशियां 100 के रूप में की जाती है। कमतर ऋण-जमा अनुपात घटिया ऋण वृद्धि और उच्च अनुपात उसके विपरीत क्रम का संकेत करता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

नवंबर, 2021 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	**तिथियाँ**	**स्थल**
तुलनपत्र वाचन और अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम	11 से 12 नवंबर, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (FEMA) विनियम तथ निर्यात, आयात एवं चालू खाते के लेनदेनों में उनका अनुपालन	11 से 12 नवंबर, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान	15 से 16 नवंबर, 2016 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित खजाना व्यावसायिक	16 से 18 नवंबर, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
अपने ग्राहक को जानिए, धन-शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तीयन का मुकाबला	22 से 23 नवंबर, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी - संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

घटनाओं से सामंजस्य बनाए रखने तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फ़ाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मुख्य पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक मूल्य-योजन सुनिश्चित करने के लिए जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के पाठ्यक्रमों को अधिक संकल्पनात्मक एवं सम-सामयिक बनाए रखने के लिए उन्हें पुनरसंरचित कर दिया गया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 और उसके बाद अथवा किसी भी स्थिति में अधिकतम मई/जून, 2023 से आयोजित किए जाने का अस्थाई तौर पर निर्णय लिया गया है। पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 के दौरान आयोजित की जाएंगी, जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मई/जून, 2023 के बाद से जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ केवल संशोधित पाठ्यक्रमों के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

बैंकिंग प्रौद्योगिकी में अनुसंधान अध्येता वृत्ति (Research fellowship) 2021-22

उपर्युक्त अध्येता वृत्ति (fellowship) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फ़ाइनैन्स (IIBF) और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (IRDBT) की संयुक्त पहलकदमी है। इसका उद्देश्य ऐसी तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यावहारिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाओं का प्रयोजन करना है जिनमें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र को उल्लिखय योगदान करने की संभाव्यता निहित हो। उक्त योजना के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

सब के लिए ई-शिक्षण सुविधा

संस्थान ने "सब के लिए ई-शिक्षण" की ऐसी सुविधा की शुरूआत की है जिसमें सदस्यता की स्थिति या परीक्षा हेतु पंजीकरण की स्थिति चाहे जैसी भी क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति संस्थान द्वारा तैयार किए गए बैंकिंग एवं वित्त से संबन्धित विविध सम-
सामयिक विषयों पर ई-शिक्षण माँड्यूल का लाभ उठा सकता है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षा विधि के अधीन दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की शुरूआत

अक्तूबर, 2021 से दो नयी प्रमाणपत्र परीक्षाएँ परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षा (RPE) विधि से आयोजित की गईं। दोनों नए विषय हैं :रणनीतिक प्रबंधन और बैंकिंग एवं उभरती प्रौद्योगिकियों मेन नवोन्मेष (स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इन्नोवेशन्स इन बैंकिंग एण्ड इमरजिंग टेक्नोलोजीस। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत

संस्थान ने एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत की है जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल
अंतर को भरने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में निर्णायक ज्ञान उपलब्ध कराएगी। व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय

UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

बैंक क्वेस्ट के अक्तूबर-दिसंबर 2021 तिमाही के लिए के आगामी अंक के लिए विषय-वस्तु है: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (International Financial Centres).

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि
(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2021 से जुलाई, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2021 से जनवरी, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

स्रोत : एफबीआईएल

भारित औसत मांग दरें

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

समग्र जमा वृद्धि %

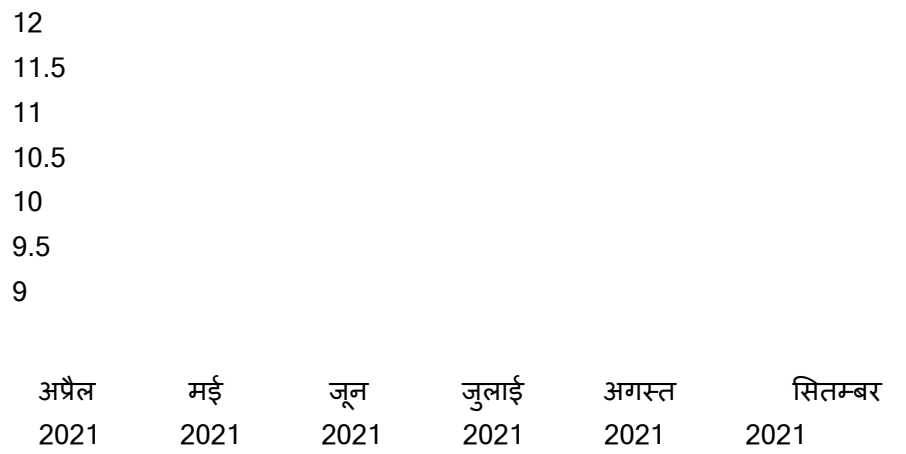

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर, 2021

कच्चा तेल - वृद्धि %

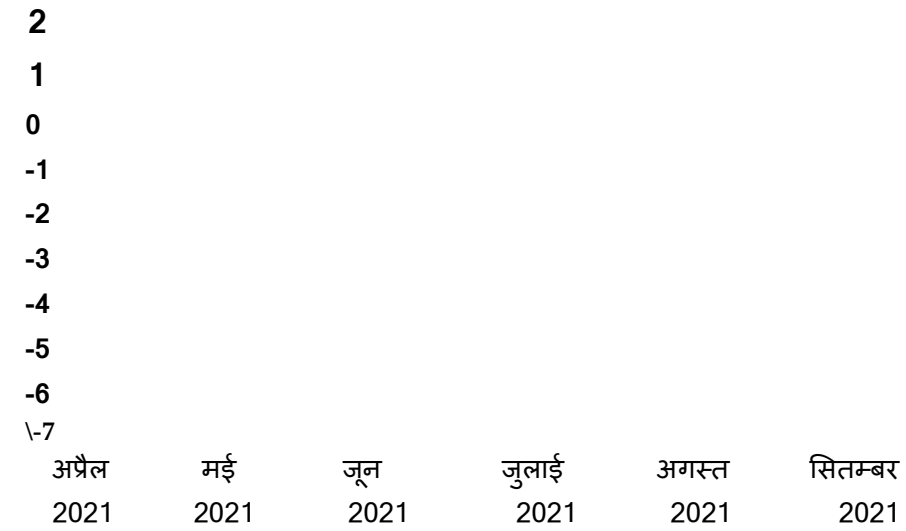

स्रोत : पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय

बैंक ऋण वृद्धि %

7
6.5
6
5.5
5.
4.5
अप्रैल 2021 मई 2021 जून 2021 जुलाई 2021 अगस्त 2021 सितम्बर 2021

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

बंबई शेयर बाजार सूचकांक और निफ्टी 50

70,000.00
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
मई 2021 जून 2021 जुलाई 2021 अगस्त 2021 सितम्बर 2021 अकतूबर 2021
बंबई शेयर बाजार बंद निफ्टी 50

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE) और निफ्टी

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

7
6.5
6
5.5
5

अप्रैल 2021	मई 2021	जून 2021	जुलाई 2021	अगस्त 2021	सितम्बर 2021

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर, 2021

प्रारक्षित स्वर्ण निधि वृद्धि %

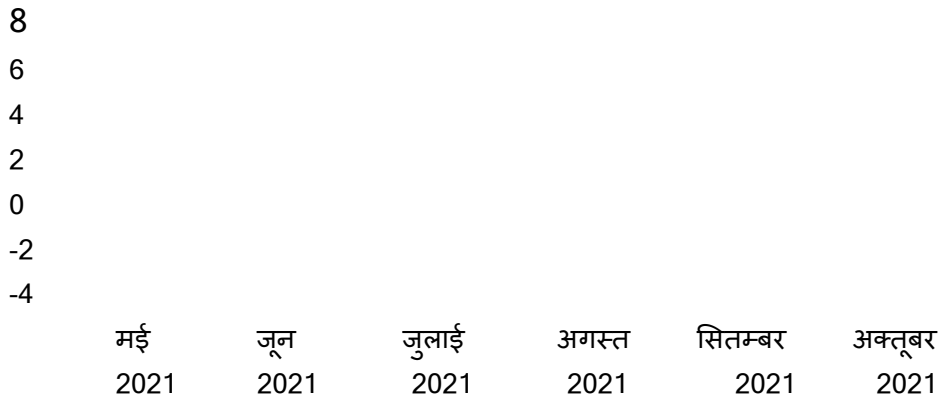

प्रारक्षित स्वर्ण निधि वृद्धि %

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : विश्व केतन दास

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

.